

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षण/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-45 "कैवची-केंदा-मंझवानी-रतनपुर" कि.मी. 237.860 से 322.035 कुल 84.175 कि.मी. लंबाई मार्ग के 2/4 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य।	
2	आवेदक/आवेदिका का नाम	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.)	
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	18.245 हेक्टेयर	
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला बिलासपुर वन मण्डल बिलासपुर	
5	वनभूमि का विस्तृत विवरण	परियोजना स्थल बिलासपुर	
	क. आरक्षित वन/संरक्षित	12.366 हेक्टेयर संरक्षित	
	ख. सीमांकित संरक्षित वन	NIL	
	ग. असीमांकित संरक्षित वन	NIL	
	घ. राजस्व वन क्षेत्र	ग्राम का खसरा क्र., आबंटित क्षेत्र	
		गांव का नाम	क्षेत्रफल
		छतौना	0.596
		बानाबेल	1.499
		मंझवानी	0.811
		रतनपुर	2.973
		योग	5.879
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति का प्रकार	राजस्व वन क्षेत्र साईट क्वालिटी - I/II/III/IVA/IVB/V घनत्व - 0.3/> 0.3 से 0.6 तक /> 0.6	
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	वृक्षों का विवरण संलग्न है।	
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	निरंक	
9	आवेदित क्षेत्र की विशेषकर खनिज प्रकरणों से मुख्य से (पी.डब्ल्यू.डी./मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	डी.जी.पी.एस. मैप संलग्न है।	

10	क्या आवेदित क्षेत्र की.मी. निरंक Ecologically Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण बायोस्फेयर रिजर्व प्राकृतिक झील/वाटर स्थल) की सीमा के 5 वर्ग की.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन करें।	
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य वन गैर क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं है। (विशेषकर खनिज उत्खन्न प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदनों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे)	
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, या नहीं ? यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण देवे।	कोई नियम उलन्धन नहीं किया गया है।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल -

दिनांक - 7.02.2022

वनमंडलाधिकारी
वनमण्डल अधिकारी
बिलासपुर वनमंडल, बिलासपुर (छ.ग.)
Kumar Nishan